INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in theJournal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur.Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India.India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time &Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

ISSN: 2582-6433

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi.Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship.He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi.Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi.He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN

2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

ISSN: 2582-6433

RIGHTS OF ARRESTED PERSONS

AUTHORED BY - RAJNI BILWAL
Sub: - Criminal
Class: - LLM 2nd Sem.
Sage University Indore
Criminal law

GUIDED BY: - DR. SUNITA SHRIVASTAVA

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

1. सारांश ।
2. मुख्य शब्द ।
3. परिचय ।
4. शोध उद्देश्य ।
5. परिकल्पना ।
6. साहित्य की समीक्षा ।
7. विश्लेषण ।
8. सुझाव ।
9. निष्कर्ष ।
10. सन्दर्भ ।

1. सारांश:-

भारत के संवैधानिक ढांचे के प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को विशेष स्थान प्राप्त है चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष गिरफ्तारी के समय भी व्यक्ति के कुछ अधिकार होते है। जो पुलिस या राज्य द्वारा उल्लंघित नहीं किए जा सकते । यह शोधपत्र इन अधिकारों की कानूनी व्यावहारिक स्थिति का विश्लेषण करता है भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता ओर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर यह अध्ययन मौजूदा समस्याओं और सुधार की संभावनाओं की ओर भी संकेत करता है।

2. मुख्य शब्द:-

गिरफ्तारी ,मानव अधिकार ,शीघ्र विचारण, उपधारणा, निर्दोशिता, नागरिक, निरोध, हथकडी।

ISSN: 2582-6433

3. साहित्य समीक्षा:-

I. भारतीय संविधान
II. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
III. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

4. परिचय:-

भारतीय कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा उसे विचाराधीन व्यक्ति कहा जाएगा।

इसी सिद्धांत के अन्तर्गत ना केवल आम नागरिकों को बल्कि गिरफ्तार व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार दिए गए है जो उनके छीने नहीं जा सकते है। तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 में तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धाराएं एवं न्यायालय के निर्णयों द्वारा इन अधिकारों को संरक्षित करती है।

5. शोध उद्देश्य:-

I. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तारी के दौरान उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की पहचान करना।
II. इन अधिकारों का वास्तविक क्रियान्वयन कैसे होता हे इसका अध्ययन करना।
III. इस सम्बन्ध में न्यायालयों की भूमिका और दिशा निर्देश का विश्लेषण करना।
IV. जब इन अधिकारों का हनन तब इससे निपटने के सुझाव।

6. परिकल्पना:-

भारत में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रदत कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का व्यवहारिक रूप में पूर्णतया पालन नहीं होता है।
वर्तमान में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता हैं उन्हें उचित रूप से उनके अधिकारों की जानकारी नहीं दी जाती है।

7. विश्लेषण:-

भारतीय संविधान के अन्तर्गत अधिकार

I. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण अनुच्छेद- 20

20(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक दण्ड का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित कीया जा सकता था।

ISSN: 2582-6433

20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा ।

20(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

<u>नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. धनी</u>

इस मामले में मानवीय उच्चतम न्यायालय ने - 20(3) क्षेत्र पर विस्तार से विचार किया इस मामले में उड़ीसा राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी के विरुद्ध कतिपय भ्रष्टाचार संबंधी आरोप लगाये गए थे और उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया था और उन्हें कुछ लिखित प्रश्नों के उतर देने के लिए बाध्य किया गया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण केवल न्यायालय में ही नहीं बल्कि वहां भी प्राप्त है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 180(2) के अधीन पुलिस अधियुक्त से पूछताछ करती हैं।

यद्यपि अपराध कि जांच करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गये सामान्य प्रश्नों मात्र से दबाव का गठन नहीं होता किन्तु यदि पूछे गये प्रश्नों की प्रकृति में आत्म अभी शसन का तत्व स्पष्ट परीक्षित होता है तो अभियुक्त को अनुच्छेद 20(3) का संरक्षण उपलब्ध होगा और उसका उतर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

II. अनूच्छेद 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सरक्षण

किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधी द्वारा स्थापित प्रकिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अन्यथा नहीं।

इस अनूच्छेद मे 'नागरिक' शब्द का प्रयोग न करके ' व्यक्ि त ' शब्द का प्रयोग किया गया है इसका तात्पर्य है कि अनूच्छेद-21 का संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है।

<u>गिरफ्तार व्यक्ति का शीघ्र विचारण का अधिकार हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979</u>

_ इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिर्निधारित किया कि अनूच्छेद द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है शीघ्र विचारण का अधिकार। यद्धपि अमेरिकी संविधान की भांति भारतीय संविधान में 'शीघ्र विचारण' के मूल अधिकार का कही स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तथा निः सन्देह रूप से यह अनु.21 में निहित है।

III. अनुच्छेद 22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

22(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया हे ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

22(2) प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया हे और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के

ISSN: 2582-6433

स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

22(3) खंड (1) और खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो

(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय हे या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

I. धारा 38 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार

जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

अर्थात जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता हे तब वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिल सकता है।

II. धारा 46 अनावश्यक अवरोध ना करना -

गिरफ्तार व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

<u>प्रेमशंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980</u>

प्रेमशंकर शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाने की प्रथा को अमानवीय अनुचित और अत्यधिक कठोर माना। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष प्रतिक्रिया या वस्तुनिष्ठ निगरानी के बिना हथकड़ी लगाना संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रदत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी कहा कि भागने से रोकने सुरक्षा चिंताओं के लिए हथकड़ी लगाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि हथकड़ी में निहित अपमान और क्रूरता के बिना व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए अनुरक्षक का उपयोग जैसे विकल्प भी मौजूद है।

III. धारा - 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार के आधार और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना

किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को उस

ISSN: 2582-6433

अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया हैं पूर्ण विशिष्टता या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरन्त सूचित करेगा।

जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभूओं का इंतजाम करे।

<u>जोगिंदर कुमार बनाम उतर प्रदेश राज्य 1994</u>

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किये।

I. गिरफ्तारी नियमित रूप से होनी चाहिए
II. किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

IV. धारा - 48गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदारों या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता।

1) गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकार या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट को तथा जिले में पदभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा।
2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने लाया जाता है उपधारा (1) के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।
3) इस तथ्य कि प्रविष्टी की ऐसे व्यक्ति कि गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित विहित किया जाए, की जाएगी।
4) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कि गई है प्रस्तुत किया जाएगा। यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करें कि उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सम्बन्ध में अनुपात किया गया है।

V. धारा - 53 गिरफ्तार व्यक्ति कि चिकित्सा परीक्षा

1) जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरन्त बाद उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा के अधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी
परन्तु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी कि यह राय कि ऐसे व्यक्ति कि एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकेगा।
परन्तु यह ओर कि जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला है। वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला

ISSN: 2582-6433

चिकित्सा अधिकारी और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा अधिकारी या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जाएगी।

2) गिरफ्तार व्यक्ति कि इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सीय अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यावसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा। जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा। जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाएं गए होंगे।
3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी।

डी. जे. बघेला बनाम कांती भाई जेठा भाई 1985

इस वाद में अवधारित किया गया कि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उस दशा में जाँच किए जाने के अधिकार कि जानकारी दी जाएगी। जबकि वह शारीरिक उत्पीड़न या पुलिस अभिरक्षा में दुव्यव्यहार की शिकायत करता है।

VI. धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य व सुरक्षा

अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करें।

VII. धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना।

धारा 56 यह उपलब्ध करती है कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो उसे शीघ्र ही मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाए।

VIII. धारा- 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक अवरुद्ध न किया जाना।

इस धारा में यह आवश्यक है कि धारा 187 के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाय। मजिस्ट्रेट उसकी निरुद्ध अवधि के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जो पंद्रह दिन से अधिक न हो। इस धारा का प्रयोजन यह हे कि अभियुक्त को विचारण के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष कम से कम समय में उपस्थित किया जाए।

IX. धारा 77- वारंट के सार की सूचना

पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा।

ISSN: 2582-6433

8. सुझाव:-

I. गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों कि रक्षा कि जाए।

II. गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी तुरन्त दी जाए।

III. थानों में CCTV निगरानी अनिवार्य की जाए।

IV. पुलिस आधिकारियों को मानव अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जाए।

9. निष्कर्ष:-

गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है सुरक्षा कवच है हालांकि कानून की उपलब्धता है फिर भी इनका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है पुलिस की जबाव देही और न्यायापालिका की सक्रिय भूमिका से ही इन अधिकारों की रक्षा हो सकती है।

10. सन्दर्भ:-

(1) भारतीय संविधान ।

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।

(3) न्यायालय के निर्णय।

(4) किताब सुर्यनारायण मिश्रा।(CRPC)